कृषि विज्ञान केन्द्र,आबूसर,झुन्झुनू
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर)

क्रमांक:– केविके / जेजेएन / 2024–25 / 150 दिनांक:–27.08.2024

केन्द्र पर समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षणों के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के लिय खाना चाय व नाश्ता आपूर्ति हेतु निविदा।

कृषि विज्ञान केन्द्र, आबूसर, झुन्झुनू पर समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियो के लिय खाना चाय नाश्ता आपूर्ति हेतु संबन्धित फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में समय–समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के लिय खाना चाय नाश्ता आपूर्ति हेतु।

1.	निविदा फार्म की दर व प्रकृति	रुपये 500 / – डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक
2.	निविदा संदर्भ	समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के लिय खाना चाय नाश्ता आपूर्ति हेतु।
3.	निविदा प्रपत्र संलग्न	निविदा प्रपत्र–क और ख
4.	अनुमानित लागत	रु. 4.50 लाख
5.	निविदा प्राप्त करने का दिनांक व समय	27.08.2024 से 05.09.2024 सांय 5.00 बजे तक
6.	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि	05.09.2024 सांय 5.00 बजे तक
7.	निविदा खोलने की तिथि व समय	06.09.2024 अपरान्ह 11.00 बजे
8.	निविदा खोलने का स्थान	कृषि विज्ञान केन्द्र, आबूसर, झुन्झनू
9.	कार्य की अनुमानित अवधि	अक्टूम्बर, 2024 से सितम्बर 2025

निविदा फार्म शुल्क रू. 500 / – व धरोहर राशि रू0 9000 / – का डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केविके आबूसर झुन्झनूं के नाम पर देय होगें। धरोहर राशि फार्म के साथ कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में 05.09.2024 सांय 5.00 बजे तक कार्यालय समय में जमा करवाई जा सकती हैं।

NIB code and UBN is: SKA2425SSOB00058

SKA2425A0055

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, आबूसर–झुन्झुनूं
प्रसार शिक्षा निदेशालय
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

निविदा फार्म (क)

1. निविदादाता का नाम एवं पूरा पता

2. फर्म एकल / भागीदारी

3. भागीदारों का नाम

4. नाम जो लेन देन करेगा मय अधिकार पत्र की प्रति

5. बैंक जिसके माध्यम से लेन देन करते हैं

6. धरोहर राशि का विवरण

7. दरें नीचे दर्शाई गई तालिका में देनी हैं

सामग्री / मात्रा	उपलब्ध राशी (अधिकतम)	निविदादाता द्वारा देय दर
चाय 125 मि.ली.	रू0 10 / –	
खाना (एक समय) चपाती, सब्जी / दाल	रू0 60 / –	
नास्ता (चाय सम्मिलित) ब्रेड पकोड़ा / पोआ / आलू कोपता– मात्रा 150 ग्राम	रू0 30 / –	
खाना (एक समय) चपाती, दाल, सब्जी, चावल सलाद,रायता व मिठाई 50 ग्राम	रू0 100 / –	
खाना (एक समय) चपाती, दाल, सब्जी , चावल,सलाद, रायता व हलवा देशी घी में (आवश्यकतानुसार)	रू0 150 / –	

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

निविदा की शर्तें (ख) :–

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि (वर्ष भर की अनुमानित खर्च राशी रूपये 4.50 लाख का 2 प्रतिशत) रूपये 9000/–व निविदा प्रपत्र शुल्क 500/–रू0 अग्रिम निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी जो बैकर्स चैक या डी.डी. के माध्यम से ही जमा होगी तथा जिस व्यक्ति/फर्म की दरें अनुमोदित होगी उसकी धरोहर राशि को बतोर अमानत राशि के रूप में कार्यालय में जमा रखी जायेगी जो कार्य अवधि समाप्त होने पर तथा **नो ड्यूज** प्रसतुत करने पर बिना ब्याज के वापस लौटा दी जावेगी।

1.निविदादाता को निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

(क) रूपये 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र देना होगा कि निविदादाता/फर्म/ऐजेन्सी किसी भी रूप में ब्लैक लिस्टेड नही है तथा गत वित्तिय वर्षों में किसी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नही है।

(ख) निविदादाता/फर्म /ऐजेन्सी का पैन कार्ड, जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

(ग) खाना आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्था द्वारा देय लाईसेंस की प्रति संलग्न करनी होगी।

2. किसी प्रकार की सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
3. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा असफल निविदादाता की धरोहर राशी कार्यालय द्वारा 7 दिवस में चैक द्धारा बिना ब्याज के वापस लौटा दी जावेगी।
4. निविदा में दी गई दरों में काट छांट नहीं होनी चाहिए। काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. मैश एवं डायनिंग हॉल की सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. अनाधिकृत व्यक्ति का किसान घर में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. खाना, नाश्ता, चाय व अन्य खाद्य पदार्थों की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।
8. मैश की जगह एवं डायनिंग हॉल के फर्नीचर (किसान घर में उपलब्धता के आधार पर) के अलावा कोई सामान देय नहीं होगा।
9. बर्तन, गैस, फ्रीज, क्रोकरी व अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।
10. कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा गठित कमेटी/प्रभारी अधिकारी, समय–समय पर निविदा संबंधी शर्तों एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर सकेगें।
11. मैश में स्वस्थ रसाईये ही स्वीकार्य होंगे। मैश में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के नैतिक चरित्र की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
12. मैश कर्मचारियों के व्यवहार संबंधी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
13. निविदादाता के कर्मचारियों द्वारा किसान घर एवं केन्द्र की सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा, नुकसान होने पर भरपाई निविदिदाता को करनी होगी।
14. किसान घर द्वारा प्रदत सामान की टूट–फूट की मरम्मत निविदादाता को करवानी होगी।
15. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा धरोहर राशि जब्त करली जायेगी।
16. समय पूर्व अनुबंध तोड़ने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूचि में डाल दिया जायेगा।
17. निविदादाता द्वारा काम में ली गई समस्त सामग्री की समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
18. विवाद होने पर न्याय क्षेत्र झुन्झुनूं न्यायालय होगा। निविदादाता को अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाना होगा जो प्रभारी अधिकारी या किसान घर के अन्य कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
19. समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों के बनाने में उत्तम क्वालिटी का सामान ही काम में लेना होगा तथा खाना शुद्ध एवं ताजा देना होगा।
20. निविदा सितम्बर 2025 तक के लिए मान्य होगा।
21. कार्य करते समय किसी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
22. निविदादाता एवं उनके कर्मचारियों को किसान घर के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

23. प्रभारी अधिकारी, किसान घर द्वारा मैश/रसोई के बारे में जानकारी मांगने पर तुरन्त उपलब्ध करवानी होगी।

24. अनुबंध खत्म होने पर कृषि विज्ञान केन्द्र से ''**नो ड्यूज**'' लेना होगा।

25. चाय जितने समय बताया जायेगा उतने समय प्रशिक्षणार्थियों को देनी होगी।

26. प्रशिक्षण में शाम के भोजन में जितने प्रशिक्षणार्थी ठहरेंगे उसी संख्या में खाना देना होगा व ठहरने की संख्या का ही भुगतान किया जावेगा।

27. रात्री में ठहरने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सख्या की जानकारी निवदिदाता को प्रशिक्षण दिवस को दोपहर 3.00 बजे दे दी जावेगी।

28. निविदादाता केवल मांगी गई सामग्री के लिए ही अपनी निविदा राशि भरकर देवें। अन्य सामग्री के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं करें।

29. दोपहर व शाम की सब्जी व दाल अलग–अलग होगी।

30. खाना व चाय आदि में प्रयोग में लिए जाने वाले बर्तन व कप प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए।

31. प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार एक दिवस से 30 दिवस तक आयोजित किये जा सकते हैं।

32. प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध बजट के अनुसार ही आपको कार्य आदेश दिये जायेगें।

33. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत /स्थगित /निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केविके आबूसर झुन्झनूं के पास सुरक्षित रहेगा ।

35. सफल निविदादाता को नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प रूपये 500/– पर इकरारनामा/अनुबन्ध प्रेषित करना होगा एवं निविदा स्वीकृति से 7 दिवस में शेष 3 प्रतिशत राशि (रूपये 13500/–) बैंकर्स चैक/डीडी द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, आबूसर–झुन्झुनूं के नाम केवीके कार्यालय में जमा करवाना होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/ हमनें पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली है तथा स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर